मतदाता पंजीकरण फॉर्म भरना और वापस भेजना

मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए योग्यताएं:

- अमेरिका का नागरिक और California का निवासी होना
- मतदान के दिन या उससे पहले कम से कम 18 वर्ष की आयु होना
- वर्तमान में किसी घोर अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर किसी राज्य या संघीय जेल में न हों, और
- वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया

फॉर्म भरना

आपके फॉर्म पर कार्रवाई किये जाने में होने वाली देरी से बचने के लिए, नीचे के बोल्ड अनुभागों को भरकर यह सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म मान्य हो और स्वीकार किया जाए। निम्नलिखित अनुभागों को रिक्त छोड़ने से आपके फॉर्म पर कार्रवाई करने में देरी हो सकती है:

अनुभाग 1 - *योग्यताएं: उस स्थिति में दोनों बॉक्सों पर निशान लगाना सुनिश्चित करें यदि वे लागू होते हों। आपके फॉर्म पर तब कार्रवाई नहीं की जा सकती है यदि अमेरिकी नागरिकता वाले बॉक्स पर निशान न लगाया गया हो।

अनुभाग 2 - *कानूनी नाम: हम यह सलाह देते हैं कि आप उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए मतदान करने के लिए पंजीकरण कराएं जो आपके ड्राइवर लाइसेंस पर दिया गया है।

अनुभाग 3 - पहचान: यदि आपके पास CA ड्राइवर लाइसेंस/ पहचान पत्र कार्ड संख्या और/या सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो वह जानकारी यहाँ लिखें। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप इन क्षेत्रों को खाली छोड़ सकते हैं।

अनुभाग 4 - *वह पता जहाँ मैं रहता/रहती हूँ: आपको उस पते के लिए स्ट्रीट पता उपलब्ध कराना होगा जहाँ आप रहते हैं। यदि आपका कोई स्ट्रीट पता नहीं है, तो आप अपने निवास का सटीक विवरण दे सकते हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स, मार्ग, इत्यादि को शामिल करें।

अपार्टमेंट, यूनिट, स्थान, या इमारत संख्या और/या अक्षर को शामिल करें यदि यह आपके पते पर लागू होता हो।

पी.ओ. बॉक्सों या मेल ड्रॉप को निवास पते के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

अनुभाग 5 - वह पता जहाँ मैं डाक प्राप्त करता/करती हूँ: यदि आपका डाक पता आपके निवास पते से भिन्न है, तो अपना डाक पता प्रदान करें। ऐसे किसी भी पते का डाक पते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें पी.ओ. बॉक्स या मेल ड्रॉप शामिल हो।

अनुभाग 6 - पंजीकरण इतिहास: पंजीकरण इतिहास अनुभाग भरें जहाँ कहीं आप पहले पंजीकृत थे।

अनुभाग 7 - डाक द्वारा मतदान करें: मतदाता की पसंद अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्येक मतदाता को 'डाक द्वारा मतदान करें' मतपत्र स्वचालित रूप से भेजा जाएगा; हालांकि, आपको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक मतदाता के पास इसकी बजाए मतदान केंद्र पर जाने और व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का विकल्प भी मौजूद है।

*आपके फॉर्म पर कार्रवाई नहीं की जा सकती यदि आपने इन क्षेत्रों को खाली छोड़ा है।

अनुभाग 8 - राजनीतिक दल की प्राथमिकता: यदि आप किसी राजनीतिक दल का चयन न करने को प्राथमिकता देते हैं, तो आप “कोई दल नहीं/कोई नहीं” बॉक्स पर निशान लगा सकते हैं। इस क्षेत्र को खाली छोड़ने से आपकी राजनीतिक दल की प्राथमिकता स्वचालित रूप से 'कोई दल प्राथमिकता नहीं' के रूप में निर्धारित हो जाएगी।

अनुभाग 9 - वैकल्पिक मतदाता जानकारी: इस अनुभाग में जानकारी वैकल्पिक है।

अनुभाग 10 - *शपथपत्र: अपने फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और तारीख डालें। फॉर्म पर कार्रवाई किये जाने और अनुमोदित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपको इस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

पंजीकरण फॉर्म वापस करना

- अपने फार्म के निचले भाग को काट लें और अपनी रसीद के रूप में इसे अपने पास रख लें।
- कार्रवाई करने और अनुमोदित करने के बाद, आपको डाक में मतदाता अधिसूचना कार्ड प्राप्त होगा।
- फार्म डाक से भेजे जा सकते हैं और इन्हें पंजीकरण की समय-सीमा तक पोस्टमार्क करना ज़रूरी होगा
- आप मतदाता रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से फार्म लौटा सकते हैं, हालांकि, डाक द्वारा लौटाने को प्राथिनमकता दी जाती है
- यदि आप मतदाता की ओर से फार्म लौटा रहे हैं, तो आपको इसे प्राप्त होने से 3 दिनों के अंदर वापस भेजना होगा

कागज़ी और ऑनलाइन पंजीकरण समय-सीमाएं

- ऐसे योग्य नागरिक जिन्हें चुनाव से 14 दिन के भीतर मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने या दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता है, सशर्त मतदाता पंजीकरण भर सकते हैं और मतदाता रजिस्ट्रार या किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं।

California ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण

आप registertovote.ca.gov
पर जाकर मतदान करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

मतदाता पसंद अधिनियम (VCA) 2020 में Santa Clara काउंटी (SCC) में लागू किया गया था। VCA के अंतर्गत, SCC में पंजीकृत मतदाता मतदान करने, 'डाक द्वारा मतदान करें' मतपत्र डालने, प्रतिस्थापन मतपत्र प्राप्त करने, मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने, भाषा या सुगम्यता सहायता प्राप्त करने और मतदाता रजिस्ट्रार की सामान्यतया उपलब्ध कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए किसी भी मतदाता केंद्र स्थान के साथ-साथ मतदाता रजिस्ट्रार कार्यालय में भी जा सकते हैं।

मतदाता की पसंद, यह आपकी पसंद है

अधिक जानकारी के लिए sccvote.org/voterschoice पर जाएं या (866) 430-VOTE पर कॉल करें।

हमारा 'मतदान करने के लिए कैसे पंजीकरण कराएं' वीडियो देखने के लिए अपने स्मार्टफोन से QR® कोड को स्कैन करें।